कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।

पत्रांक– 1486 / सोनभद्र / 33 , दिनांक, राबर्ट्सगंज मार्च 20, 2023

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय– उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड, वाराणसी द्वारा 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाइन के निर्माण में प्रभावित रेनुकूट वन प्रभाग में 98.28 है0 आरक्षित वन भूमि, ओबरा वन प्रभाग में 113.04 है0 आरक्षित वन भूमि, सोनभद्र वन प्रभाग में 15.79 है0 आरक्षित वन भूमि, मीरजापुर वन प्रभाग में 37.51 है0 आरक्षित वन भूमि तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग में 54.652 है0 आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल प्रभावित 319.28 है0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ–1– कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–962 / 11–सी– FP/UP/Trans/32650 /2018 दिनांक 12.09.2022।

2– अधिशासी अभियंता, विद्युत प्रेषण खण्ड, द्वितीय, वाराणसी का पत्रांक– 333 / वि0प्रे0ख0(ग्रा0) दिनांक 27.02.2023 ।

महोदय,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रस्ताव में उठायी गयी 06 बिन्दुओ की आपत्तियो के निवारण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–1039 / सोनभद्र / 33 / दिनांक–31.12.2022 एवं अधिशासी अभियंता, विद्युत प्रेषण खण्ड, द्वितीय, वाराणसी का कार्यालय कार्यालय पत्रांक– 333 / वि0प्रे0ख0(ग्रा0) दिनांक 27.02.2023 (प्रति संलग्न) द्वारा आपत्तियो का निम्न प्रकार निवारण किया गया ।

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1–	प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने से सम्बन्धित अभिलेख यथा Geo Referenced Digital Map, Sol Toposheet,10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं के0एम0एल0 फाइल संलग्न नही किया गया है। अतः संलग्नकर आनलाइन भाग–2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।	प्रस्तावक विभाग के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित किया गया है कि–"बिन्दु संख्या–1 एवं 2 जो कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित है, के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त लाइन के निर्माण के बाद से वर्तमान तक कोई नया निर्माण कार्य नही किया गया है और न ही किया जाना है। जिस कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण की देयता नही बनती है"।
2–	पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानो में बौने मुख्यतः औषधीय पौधो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न नही किया गया है। अतः संलग्नकर आनलाइन भाग–2 में अपलोड करें	
3–	प्रस्ताव में संलग्न लागत लाभ विश्लेषण में एन0पी0वी0 की दर पूर्व की दरो के अनुसार है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 के अनुसार संशोधित एन0पी0वी0 की दर के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव में संलग्न करें तथा आनलाइन भाग–2 से पूर्व का त्रुटि पूर्ण लागत लाभ विश्लेषण को डिलीट कर संशोधित अपलोड करें ।	लागत लाभ विश्लेषण में एन0पी0वी0 की दर भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 के अनुसार संशोधित दी गयी है। जिसे प्रस्ताव में संलग्न करते हुये ऑनलाइन भाग–2 से पूर्व का त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण को डिलीट कर संशोधित अपडेट कर दिया गया है।
4–	प्रस्ताव में दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु दंडात्मक एन0पी0वी0 गणना में दर भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 के अनुसार नही है। अतः संशोधित एन0पी0वी0 के दर के अनुसार दंडात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न करें तथा पुरानी गणना आनलाइन भाग–2 के Addition information detail से डिलीट कर अपलोड करें।	बिन्दु संख्या–4,5,6 के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित किया गया है कि– 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेशण लाइन के निर्माण हेतु लगभग 319.28 है0 वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या–8बी / 197 / 91– एफ0सी, दिनांक 01.11.1993 द्वारा गैर वानिकी कार्य हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0) को हस्तान्तरित किया गया था। जिसमें कोई समय सीमा नही दी गयी है एवं इनके क्रम में उप सचिव, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–जी0आई0 / 444 / दिनांक 14.02.1993 – 707 / 89 दिनांक 08 / 23 फरवरी 1994 द्वारा उक्त विद्युत पारेशण लाइन के निर्माण हेतु 319.28 है0 वन भूमि 20 वर्षों हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में
5–	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट हार्ड कॉपी भाग–2 (हिन्दी वर्जन) के क्रमांक–6 तथा आनलाइन भाग–2 के क्रमांक–12 में उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट हार्ड कापी भाग–2 तथा आनलाइन भाग–2 में उल्लंघन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग–2 से पूर्व का त्रुटि पूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकापी भाग–2 डिलीटकर अपलोड करें।	

6–	दंडात्मक एन0पी0वी0 जमा किये जाने की वचन बद्धता प्रस्ताव में पुनः संलग्न नही की गई है।	उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0) को हस्तान्तरित किया गया था। संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन के आदेश पत्र के बिन्दु संख्या–3 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है। उक्त भूमि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0) के उपयोग में पट्टा अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी जब तक कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0 पा0ट्रा0का0लि0) को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता बनी रहेगी"। लीज अवधि 2014 को समाप्त हो गया था। लीज समाप्त होने के पूर्व ही अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक– 320/वि0प्रे0खं0–प. (वा) दिनांक 14.03.2014 के द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग में प्रेशित किया गया । लीज नवीनीकरण प्रकिया जटिल होने के कारण तथा कोई स्पश्ट गाइड लाइन संज्ञानित न होने के कारण प्रकिया में समय लग रहा है। भारत सरकार की उल्लघंन से सम्बन्धित गाईड लाइन दिनांक 29.01.2018 , नये वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति से सम्बन्धित है न कि पूर्व में दिये गये अनुमति से। उक्त परियोजना में नयी वन भूमि का उपयोग नही किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति में कोई समय सीमा का उल्लेख नही है। अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से लीज समाप्त से पूर्व ही प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक– 320/वि0प्रे0खं0–प. (वा) दिनांक 14.03.2014 के द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग में प्रेषित किया गया तथा लीज समाप्त होने के पश्चात् भी लीज रेंट का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित नये सर्किल रेट से किया जा रहा है। अतः उक्त वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किया जाना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न माना जाये तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाया जाय।

संलग्नक–1–एन0पी0वी0 मूल्य निर्धारण,
2–प्रस्तावक विभाग का सन्दर्भित पत्र ।

भवदीय

(सुरेश चन्द्र पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।

संख्या/ अ/समदिनांक

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी ओवरा वन प्रभाग ओवरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता विद्युत प्रेषण खण्ड द्वितीय वाराणसी 220के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तलवल हाइडिल कालोनी गाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुरेश चन्द्र पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र।